DR. BIPLAB DASGUPTA: It was.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, why didn't the Chief Whip of your party or the Member not think of it earlier? I hope to run this House according to certain rules. There have been so many irregularities going on in this House. At the last minute, Members just walk in and give their names. This is not the way. You have to take the House seriously. Now, I shall now put the question.

The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा0 मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि -

'विधेयक को पारित किया जाए ।'

The question was put and the motion was adopted.

THE NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1995

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

"राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, सहकारिता आंदोलन के लिए यह एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है। हमारे एनसीडीसी की तरफ से सहकारिता को जो ऋण दिये जाते थे, पहले वह राज्य सरकार की गारंटी पर दिए जाते थे, लेकिन आज के युग में सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का

विभिन्न क्षेत्रों में काफी विस्तार हुआ है, इसलिए सरकार चाहती है कि यह जो एनसीडीसी है उसकी मार्फत विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली इन सहकारी संस्थाओं को भी हम ऋण उपलब्ध करा सकें। जो पहले कोपरेटिव की मार्फत काम करने का एक बंधा-बंधाया पैटर्न था, उससे हटकर हम चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में, पशु पालन के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में और जो अन्य जनसेवाओं के विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें काम करने वाली जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको हम राज्य सरकार की गारंटी के बगैर भी ऋण दे सकें, यदि एनसीडीसी आश्वस्त हो जाए कि उनके पास ऋण अदा करने की शक्ति और सामर्थ्य है।

महोदया, यह बिल वर्ष 1995 में विचार के लिए सदन में आया था और कई बार आकर चला गया । सबसे पहले 25 अगस्त, 1995 को यह बिल राज्य सभा में पुरःस्थापित हुआ । लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा 8 सितंबर, 1995 को स्टेंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसके पास विचार के लिए यह बिल गया, लेकिन 10 मई, 1996 को लोक सभा भंग हो गई और यह बिल पेंडिंग हो गया । इसके बाद 2 अगस्त, 1996 को फिर से स्टेंडिंग कमेटी गठित की गई और 17 दिसंबर, 1996 को कमेटी ने लोकसभा को अपनी रिपोर्ट दे दी । कमेटी के सुझाव मानते हुए 5 अगस्त, 1997 को कैबिनेट ने इसको पास कर दिया । 6 नवंबर, 1997 को राज्य सभा को सूचित किया गया । फिर योजना आयोग के पास बात गई और योजना आयोग की यह सिफारिश आई कि इसको व्यापक रूप से तैयार करना होगा, इसलिए तत्काल इसको रोका जाए ।

महोदया, सरकार ने यह सोचा है कि इस विधेयक को, यथारूप जो प्रारूप है, अनुसार सदन में लाकर सदन की हम इस पर अनुमति ले लें । योजना आयोग के जो सुझाव हैं या स्टेंडिंग कमेटी के जो सुझाव हैं उनको विस्तार के साथ सम्मिलित करके बाद में हम एक दूसरा विधेयक ले आएंगे और तब उस पर चर्चा करेंगे, अभी इस विधेयक को यथारूप पास किया जाए क्योंकि इस विधेयक से समाज के कमजोर वर्ग को, किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचना है और चूंकि विधेयक के इतने दिनों से लंबित रहने से एनसीडीसी द्वारा हम जो इनको लाभ देना चाहते हैं वह नहीं दे पा रहे हैं । इसलिए मेरा आपकी मार्फत माननीय सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि यह एक शुभ विधेयक है, इस पर कम से कम चर्चा कर इसे जल्दी से जल्दी पास किया जाए, जिससे कोपरेटिव की मार्फत एक नए समाज के निर्माण में हम कारगर सिद्ध हो सकें, जो सरकार की मंशा है । धन्यवाद ।

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no name from the Congress. So, I call Shri Kailash Joshi.

श्री कैलाश जोशी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मेरे लिए यह बड़े संतोष की बात है कि उन्होंने यह कह दिया कि वे इस संबंध में और व्यापक संशोधन विधेयक लाएंगे । इसकी आवश्यकता इसलिए है कि यह विधेयक मूलतः 1962 में बना था, 1974 में एक अनौपचारिक समिति बनी, उसके माध्यम से कुछ सुझाव आए थे, उन सुझावों का समावेश करते हुए फिर एक संशोधन विधेयक लाया गया था ।

वह पारित हुआ था और समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनमें से कुछ सिफारिशें स्वीकार भी कर ली गई थीं । किन्तु जैसा मैंने कहा, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तब से आज तक परिस्थितियों में बहुत व्यापक परिवर्तन हो गया है । 1974 के बाद आज इन 18 वर्षों में सहकारिता के क्षेत्र में नई-नई संस्थाएं बनी हैं, उसके साथ ही साथ जो सम्बद्ध विषय हैं इस अधिनियम के, उनके संबंध में अनेक नए-नए प्रयोग भी हमारे यहां प्रारम्भ हुए हैं, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वन-उपज का क्षेत्र हो, चाहे पशुओं का क्षेत्र हो, सब में प्रयोग हुए हैं और सबसे बड़ा प्रभाव तो इस पर पड़ा है विश्व व्यापार समझौते के कारण । यह समझौता होने के कारण एक ओर जहां हमारे सामने नए-नए अवसर उपलब्ध हुए हैं जिनके माध्यम से हम इस अधिनियम के अंतर्गत निगम के माध्यम से रोज़गार के और क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को व्यापक मात्रा में रोज़गार मिल सकता है, परन्तु उसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी उत्पन्न हुए हैं, जो अभी तक सारे मात्रात्मक प्रतिबंध हट गए हैं, उसके कारण कुछ मामलों में विपरीत प्रभाव भी हमारे सहकारी क्षेत्रों में पड़ा है । इस दृष्टि से इस पर बहुत व्यापक विचार करने की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि यह मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में एक व्यापक विधेयक फिर से प्रस्तुत करेंगे ।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, इस संबंध में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो-तीन बातें मैं बता देना चाहता हूं । एक तो इसमें उन्होंने, जैसा कि पूर्व अधिनियम में था कि रॉ-कॉटन और जूट, ये सब उसमें सम्मिलित थे परन्तु बाद में उसमें से इनको हटा दिया गया था और अभी जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस विधेयक में भी इनका समावेश नहीं किया गया है, इसमें से इनको हटा दिया गया है । इस संबंध में मैं मंत्री जी का ध्यान स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कि कमेटी ने कहा है :-

> "The Committee, therefore, strongly feel and recommend that these agricultural produces, raw cotton whether ginned or unginned, raw jute, cotton seeds and vegetable oils should be diclassified under Agricultural Act original produce defined under section 2 of the principal Act."

मेरे मत में यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कॉटन से मतलब केवल रॉ-कॉटन से ही नहीं होता है, कॉटन का मतलब रुई से होता है, धागे से होता है और आजकल बड़ी मात्रा में सहकारिता के माध्यम से भी ये उद्योग देश में चल रहे हैं । बड़े पैमाने पर भी, मध्य स्तर पर भी और लघु स्तर पर भी। हमारे यहां हैंडलूम का जो धागा बनता है वह धागा भी बाहर जाता है और वह कोआपरेटिव के माध्यम से भी बनते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस दिशा में बताएं और जैसा कि स्टेंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है, इसको इसमें जोड़ें। मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि इसमें जहां पर कोआपरेटिव लैंड डवलपमेंट बैंक का उल्लेख आया है उसके बारे में भी स्टेंडिंग कमेटी ने कहा था और मेरा भी यह मत है क्योंकि प्रदेशों के बारे में मुझे जानकारी है कि वहां पर वह भूमि सुधार और सहकारी विकास बैंक उनको बोलते हैं और इसलिए स्टेंडिंग कमेटी ने भी यह सुझाव दिया था कि इसमें इतना संशोधन कर दिया जाए कि यदि इस प्रकार की जो कोआपरेटिव लैंड डवलपमेंट बैंक हैं अगर उनके नामों में

कहीं परिवर्तन किया गया है तो उस परिवर्तन को भी इसमें जोड़ दिया जाए जिससे किसी प्रकार की आशंका न रहे। तीसरा और अंतिम सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आजकल बहुत बड़ी मात्रा में जैसे 1974 के संशोधन के बाद और अनुसूचित जाति और जनजाति की भी सहकारी समितियां बनी हैं और वह भी विभिन्न वस्तुएं बनाकर के सहकारिता के माध्यम से काम करती हैं। यह बैंक बड़ी दूर तक फैले हुए हैं, बड़े नगरों में भी हैं और छोटे कस्बों में भी हैं। आपने बैंक के मामले में इसमें बैंक का तो उल्लेख किया है कि शैड्यूल्ड बैंक होगा, कोआपरेटिव बैंक होगा लेकिन मेरा सुझाव यह होगा कि इसमें नागरिक सहकारी बैंक को भी जोड़ दिया जाए जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जो सहकारी समितियां काम कर रही हैं, उनको उन बैंकों से व्यवहार करने में सुविधा प्राप्त हो सके और यह रूरल कोआपरेटिव बैंक आजकल बड़े-बड़े शहरों में काफी बन गए हैं और कस्बों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए इनको भी इसमें जोड़ दिया जाए। यह मेरे तीन सुझाव इस विधेयक के संबंध में हैं।

अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैंने कारपोरेशन की पिछले दो वर्षों की रिपोर्ट पढ़ी हैं। कारपोरेशन कार्य तो ठीक कर रहा है लेकिन एक बात मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी कि बड़े उद्योगों के क्षेत्र में, मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में तो उनकी पहुंच है लेकिन ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग जो सहकारिता के माध्यम से देश भर में चल रहे हैं उनकी ओर उनका लक्ष्य नहीं है बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं कि उनका दुर्लक्ष्य है। इसलिए मंत्री जी कम से कम उनको यह सुझाव देंगे क्योंकि आपके प्रतिनिधि उनकी बैठकों में नियमित रूप से जाते हैं, उन्हें यह सुझाव देंगे कि यह जो दलित वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने जो सहकारी समितियां बना रखी हैं, जो इस कानून से सम्बद्ध है, उनकी दिशा में यह प्रयास करें जिससे इसका लाभ उन सब तक पहुंच सके जिससे कि 1974 में जो संशोधन किए थे इससे वह लोग भी लाभान्वित हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपके इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri R. Chandra Sekar Reddy.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I am not speaking.

SHRI C.O. POULOSE (Kerala): Madam, this Bill is to strengthen the NCDC. It is a proposal to amend the Act. That was made in 1995. Due to various reasons, it was not possible to pass this law. Now, wherever cooperatives are operating, in many areas, they are facing difficulties under the present circumstances. In the past too it was not all right. But, after India entered into the WTO settlement, each and every agricultural commodity can be freely imported into India. The customs duty imposed in almost all cases is very low. It is far below the bound duty rate. The agricultural population is in difficulty and the cooperative societies should come to the help of the agricultural population in this country. That is the

main task of the cooperative movement today. The farming community is deprived of remunerative prices. The input cost of farming is increasing day by day. The electricity cost, the water cost and every other cost has gone up. In addition, the fertiliser cost as also the insecticide cost is going up. Cost of every type of input is going up. The farming community is finding it very difficult to go on. This is the second area where the cooperative movement of this country should concentrate on. Even in this difficult circumstances, our agricultural population was capable of improving our productivity and absolute production in various fields. The mechanism of the Minimum Support Price is applicable to many of the commodities. There are certain other agricultural produces which need to be brought under the umbrella of MSP, especially arecanut, coffee, cardamom and commodities like that. There are several other agricultural problems faced by the peasantry which the cooperative movement of today should concentrate on. The main agency to help the farming community is only the cooperative societies, the cooperative movements. All of us know, that the cooperative movement in our country is widespread. It is at the primary level, district level, and State level. Not only that, there are multi State levels and all India level cooperative movement. Taking all these cooperative societies, the cooperative movements together, we can say that the functioning of the cooperative movement is almost satisfactory. Now the regulation through the National Cooperative Development Corporation, as has been correctly pointed out, in planning and promoting programmes of production, processing, marketing, export-import of agricultural produces, production of foodstuffs, etc. are very much necessary. Now the Bill intends to include edible and non-edible oilseeds, cattle food, including oilcake, horticulture, animal husbandry, etc. in its purview. It is all welcome and good.

Regarding procurement and marketing, I want to mention certain aspects. If a cooperative society is directed to procure any of the commodities by the Government and selling the same commodities bring loss to the cooperative society, the Government should compulsorily compensate that cooperative society. In the case of copra procurement, in the case of rubber procurement and in the procurement of certain other commodities, there exists a great risk in the present day of great price fluctuation. The price level of many of the agricultural commodities has come down in recent years and many of the cooperative societies are in financial difficulty. Many of the industrial type of cooperative societies are

also in difficulty. The NCDC should bear the responsibility of supporting the cooperative movement in case the cooperative movement suffers loss due to changed circumstances. There should also be a system of risk guarantee for the societies engaged in agricultural and related marketing operations. The Government should come forward and establish such a system. As of now, the cooperative societies dealing in the above areas are only responsible for loss and not the NCDC. The Minister in his opening speech has promised that the Government will come forward with a comprehensive Bill. The Government should see that this responsibility is shared by the NCDC in case of loss to the cooperative societies while dealing with such types of operations. Such a step is very necessary in the changed circumstances. Madam, that is all that I wanted to say today on this subject. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri S.S. Chandran. He is going to speak in Tamil. You speak such good Hindi, Mr. Chandran.

SHRI S.S. CHANDRAN (Tamil Nadu) : No, Madam. I am a good actor. I acted in 800 films ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know he is a very good actor. Has he acted in 800 Hindi movies?

SHRI S.S. CHANDRAN: No. I worked only in Tamil movies. But my Tamil movies were dubbed in Hindi also. I am a very famous actor in Tamil Nadu. I am also a familiar actor.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know that. So, now you want your speech to be dubbed in Hindi. Okay. Agreed.

*SHRI S.S.CHANDRAN : Madam, Deputy Chairperson, I thank you for permitting me to speak on the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill on behalf of AIADMK. Madam, this Bill seeks to amend some provision of the original Act. In Section 2, sub-section I (a), the term 'Agricultural produce' has been redefined. The amendment seeks to include a few more items to the list. At the same item, items like 'raw cotton' and 'raw jute' are sought to be taken out of

* English translation of the original speech delivered in Tamil.

the list of agricultural produce. I request the Hon'ble Minister to tell the House as to why these items are taken out from the list. I hope the Hon'ble Minister would not say that I should ask the former Minister who introduced this Bill seven years ago.

Madam, under Section 5, sub-section 2(b), livestock and poultry feed are sought to be included. This is a welcome move. I say so because, it is only the poor who are benefited by the cooperative societies. The people in the rural areas are still dependent on the livestock for their sustenance.

Here I wish to make a pertinent point. When poor people approach these cooperative societies for small loans for the purchase or development of livestock, they are not given loans so easily. Many of them return disappointed. A person known to me ran from pillar to post for getting a small loan from the Cooperative Society. But he got nothing and fell sick. He could not even arrange a loan for his treatment and he died. This should not be the attitude of the Cooperative Societies.

Madam, it is only the poor who go to Cooperative Societies for getting loans under Central scheme. But the poor people are asked to produce wealth certificate showing their assets. He has nothing and that is why he is approaching for a loan. Then what is the point in asking about his assets and certificates. The nationalised banks, on the other hand, do not entertain them. This situation must change.

The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Jayalalitha Amma has announced a grand scheme in Tamil Nadu for the development of the State as well as the Cooperative Societies. A scheme to develop 50 lakh acres of wasteland has been taken up by the State Government. The salient feature of this Wasteland Development Project is to involve the Cooperatives. I request the Hon'ble Minister to implement such projects throughout the country. Madam, cooperative development should not be the development of those who manage them but of those poor people who come up to them.

I have a word about the loans owed by people to the Cooperatives. When the poor fail to repay their loan on time, the authorities take away their belongings including their livestock. But there are rich

people, business people who owe crores of rupees to the Government. Instead of recovering the loans from them, the Government should not chase the poor for the small loans owed by them. I hope the Hon'ble Minister will take notice of these points. With these words, I thank the Hon'ble Deputy Chairperson once again for giving me this opportunity to speak.

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, I rise to support this Amendment Bill. The National Cooperative Development Corporation Act was passed in 1962, and amended in 1973 and 1974. This amendment was proposed in the year 1995. The cooperative movement has a vital role to play in the economic growth of a country. Each State has cooperative legislations and many types of cooperative societies. The main objective of this Central Act is to extend a helping hand to the State cooperatives functioning in the different sectors of the society. Two studies have been carried out on the working of the National Cooperative Development Corporation. The first study on 'organization and management' was carried out in 1994 by the Indian Institute of Management, Ahmedabad, in fulfilment of all bank requirements of international development, credit in National Development Agency and credit in National Cooperative Development Corporation. The second study by an expert group, appointed by the Government of India was carried out in 1998. The findings of these studies related to the generation and appraisal of the proposals, reviewing and monitoring of the proposals, State intervention versus direct lending, sources of funds, information system, human resources management, etc. This Amendment has been proposed to fulfil the major demands of the cooperative sector, that is, direct lending to the cooperatives by the National Cooperative Development Corporation, without Government guarantee, and inclusion of live-stock, fisheries, industrial goods, agro-forestry, sericulture and allied activities, for the purpose of assistance by the National Cooperative Development Corporation. This corporation now extends a helping hand to the sick cooperative mills towards re-capitalisation. During the Ninth Five-Year Plan, a new component of re-capitalisation of the sick mills was included, which provided for table loan; investment loan; rescheduling of loan; reduction in the rate of interest, penal interest and other penalties; additional margin money; working capital; special terms of payment, etc. The existing cooperatives have been put on a sound track so as to achieve the goal of the National Cooperative Development Corporation. Excessive bureaucratic

control and needless administrative interference will lead to ineffectiveness in the cooperative sector. The Government assistance has to be increased. Mounting overdues, weakening recovery cycles, erosion of autonomy and declining self-reliance should be avoided. I hope this Amendment will be implemented in the right perspective. Sir, agricultural cooperative banks, cooperative marketing committees, cooperative warehouses and several other cooperative activities have helped the agricultural industry. The aim of this Amendment Bill is to authorise the Corporation to accept grants, donations, etc. from any agency in India or outside, and to empower the Corporation to waive, in suitable cases, conditions with regard to guarantee. It is a pioneering step in the cooperative sector. In this connection, I request the hon. Minister of Agriculture to hold consultations with the State Governments and try to extend the scope of the Cooperative Act to other sectors also. At present, it is limited only to activities like agriculture, weaving etc. I request the hon. Minister to explore the possibility of extending this to other sectors like Education, Health, Insurance etc. In 1970, when I sponsored an Arts and Science Institute, that is, the Arignar Anna College, in Kanyakumari district, I wanted to register that college in the cooperative sector. So, first, I applied to the Madurai Kamaraj University to register it as a Teachers' Educational Cooperative Society. They directed me to first get my Society registered; accordingly, I approached the Registrar of Cooperatives of Tamil Nadu. He refused to register this organisation on the ground that the Cooperative Act does not extend to Education and other fields. So, I had to change my mind, and, instead, I got it registered under the Societies Act, and the College is now running under this Act.

Now, you see, the Government is regulating only Government and Government-aided colleges. In Tamil Nadu, the Government is not able to run the Government colleges. So, they are thinking of affiliating them to universities. The Government is able to regulate only aided-colleges. But self-financing colleges are coming up year after year. A number of colleges, throughout the country, are minting money. There is nobody to control them. They charge very heavy fee, in the form of capitation fee, or Annadurai donations, etc. So, I request the hon. Minister to have interaction with the State Ministers, to bring forward a legislation, under the State Cooperatives Act to register other societies also so as to take care of education, insurance, health care, etc. There are big hospitals, but the Bill is such that ordinary people cannot go there. With these words, I support the Bill.

4.00 p.m.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, माननीय जोशी जी ने अपने भाषण के क्रम में कुछ बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जो स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव थे, उनमें से कुछ को हमने इसमें समाहित किया है और सरकारी संशोधन जो प्रस्तुत है इसमें हमने उसमें से कई चीजों को लिया है। दो -चार चीजों को अभी हमने सम्मिलित नहीं किया है। यह बात जो उठाई गई थी कपास के मामले में और जूट के मामले में, ये कृषि उत्पाद हैं, एग्रीक्लचर प्रोड्यूस जिसको कहते हैं,उसको हमने इसमें सम्मिलित किया है। इसको सम्मिलित करने का अर्थ यह नहीं है कि इनको हमने उसमें से निकाल दिया है, अलग कर दिया है। हम जो एक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हमने दिया है एग्रिक्लचर प्रोड्यूस। उसकी डेफिनेशन देंगे, उसमें किन-किन चीजों को हमने सम्मिलित किया है, सारी चीजों को सम्मिलित किया है, चाहे कपास हो या जूट हो, सभी कृषि उत्पाद हैं। इसके अलावा जो अन्य कृषि उत्पाद हैं, चाहे जिस नाम से पुकारे जाते हैं, वे उसी नाम से पुकारे जाएंगे और इनको हम उसमें सम्मिलित कर लेंगे। हमने इसको मान लिया है और हमें इसमें कोई अपत्ति नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि सर्विस के क्षेत्र में इन- इन को सम्मिलित किया जाना चाहिए महोदया, सरकार का यह विचार है और सरकार की राय , हमारे एनसीडीसी के सभी लोग बैठकर तय करते हैं। उसमें हमारी दृष्टि यह है.....। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, हैल्थ केयर, एजुकेशन, इंश्यारेंस, होटल, रेस्टोरेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, रूरल हाउसिंग, अल्टरनेटिव सोर्सेस आफ एनर्जी इत्यादि। सर्विस के क्षेत्र में ये जितनी चीजें हैं, अगर कॉ-आपरेटिव सोसायटीज आगे बढ़कर इन चीजों को करना चाहें तो एन.सी.डी.सी की तरफ से उन्हें जितनी सुविधाएं चाहिएं, बनाने के लिए कर्ज चाहिए, बुनियादी ढांचा खड़ा करना है एन.सी.डी.सी की तरफ से हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है । उनके रजिस्ट्रेशन होंगे, वे आगे आएंगे, हमसे मांगेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे । जहां तक सूद के सवाल को उठाया गया है कि एन.सी.डी.सी. की तरफ से सूद के प्रश्न होते हैं, इंट्रस्ट के प्रश्न होते हैं तो महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि हम कहीं से पैसा लाते हैं और हम बीच में खड़े होकर पैसा देकर कॉ-ऑपरेटिव संस्थाओं को खड़ा करते हैं । हम जहां से पैसा लेते हैं उसमें अपना न्यूनतम से न्यूनतम हिस्सा निकालकर, लेकर आगे दूसरी कॉ-ऑपरेटिव संस्थाओं को देते हैं । हम मैक्सिमम तेरह परसेंट से ज्यादा एन.सी.डी.सी. की तरफ से किसी से भी इंट्रस्ट नहीं लेते हैं । हम सवा बारह परसेंट पर कॉ-ऑपरेटिव संस्थाओं को ऋण देते हैं लेकिन आगे जब यह स्टेट फेडरेशन कॉ-ऑपरेटिव को जाता है या डिस्ट्रिक्ट कॉ-ऑपरेटिव फेडरेशन को जाता है, या एपेक्स को जाता है तो यहां शिखर से चलते-चलते सतह तक आने में रास्ते में जो सरकारी संस्थाएं हैं, वे अपनी व्यवस्था के लिए इस व्यवस्था को खर्च के तौर पर उसमें सूद को जोड़ती हैं । यह इसमें कुछ अधिक पड़ता है ।

उपसभापति : आप कितने परसेंट पर लेते हैं ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमें जहां से मिलता है, हमने पास किया है कि हमें आठ परसेंट, नौ परसेंट, जितने पर भी मिलेगा, हम प्राइवेटली या बैंक से लेते हैं ।

उपसभापति : आप आठ परसेंट पर लेकर तेरह परसेंट चार्ज करते हैं, आप पैसा बनाते हैं ।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : हम आठ परसेंट पर ही नहीं लेते हैं । हम कहीं नौ परसेंट पर और कहीं दस परसेंट पर भी लेते हैं । हमें जहां से भी पैसा मिलता है वहां से लेकर देते हैं । दूसरी बात यह है कि जो समितियां हमारा कर्ज समय पर नहीं देती हैं, जिनके पास हमारा सूद रह जाता है, उस सूद को एक बार तय करके, छूट देकर, समझौता करके अपना पैसा वापिस लेते हैं । अभी तक हमारी व्यवस्था यह थी कि हम राज्य सरकारों से गारंटी लेते थे। राज्य सरकारें हमारी जमानतदार बनती थीं और गारंटी देती थीं कि उन कॉ-ओपरेटिव सोसायटीज को आप दे दीजिए, हम उन्हें दे देते थे । उसमें कई प्रकार के व्यवधान पैदा होते थे। जैसेकि हमने कर्ज दे दिया, किसी स्पिनिंग मिल को दिया या कपड़ा बनाने वाले को, सूत कातने वाले या शुगर मिल को दिया । हमने यहां से तो पैसा दे दिया लेकिन वहां राज्य सरकार की तरफ से समय पर वह पैसा उस संस्था को, कॉ-ऑपरेटिव को रिलीज नहीं किया जिसके कारण हम आगे उन्हें ऋण देने में हाथ रोक लेते थे ताकि पहले जितना दिया है वह कॉ-ऑपरेटिव को रिलीज हो जाए । उनके सामने कुछ अच्छी कॉ-ऑपरेटिव सोसायटीज भी थीं जो अपने आप में स्वावलंबी थीं, अपना काम करती थी, व्यापार भी ठीक था, उनकी बैलेंस शीट भी ठीक थी, उनकी पूंजी भी ठीक थी लेकिन उन्हें समय पर पैसा नहीं मिल पाता था । इसीलिए हमने संशोधन किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जमानत के बिना भी अगर कोई कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी है, उनकी संपत्ति है, हमारा ऋण अदा करने की क्षमता है, शक्ति है, कारोबार बढ़िया है, संतोषजनक है, अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें सीधे भी एन.सी.डी.सी. से लोन लेकर दे देंगे जिससे कि वे हमारा लोन लेकर काम करें और इस काम को आगे बढ़ाएं । यही मोटी बात है जिसमें हमने उन्हें कई क्षेत्रों में बढ़ाया है । हमने एक चीज डिटेल में लिख दी है लेकिन उसमें कई चीजें जुड़ जाएंगी । काफी सारी चीजों को हम लाए हैं । जैसे खाद्य तेल, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन है । जब हम कृषि कहते हैं, कृषि और पशुधन की बात साथ-साथ करते हैं तो कृषि और पशुधन का अर्थ है, कृषि आधारित जितने प्रकार के उत्पाद हैं या कृषि उत्पाद आधारित जितने प्रकार के प्रोसेसिंग कारखाने चलते हैं, जिनमे प्रोसेसिंग का काम चलता हो वे सब इसमें अपने आप ही सम्मिलित हो जाते हैं । लेकिन अगर हम इन सबको गिनने लगे कि आम का रस बनाना है, जूस बनाना है, अचार बनाना है या खटाई बनानी है तो हम ऐक्ट क्या बनाएंगे यह तो एनसाइक्लोपीडिया बनाना पड़ेगा। जब हमने एक बार कह दिया खाद्य और पशुधन अर्थात् कृषि उत्पाद, खाद्य और पशुधन से जुड़े हुए, उनसे आधारित जितने प्रकार के रोजगार हैं, व्यापार हैं, कारोबार हैं और उनसे जुड़े जितने प्रकार की सहकारी समितियां काम करने वाली हैं, वे आएं । अब जो मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज हमने बनायीं तो जो एक राज्य से कई राज्यों में काम करने वाली सहकारी समितियां हैं उनके लिए महोदया एक व्यापक आंदोलन समझा गया ... इस सरकार ने एक सहकारी आंदोलन चलाया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए जो निकालते हैं उनका एक रिकार्ड है। हम इसमें सहकारी समितियों को सहायता भी देते हैं। अपनी ओर से उनको हम सब कुछ देंगे। एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत किए गए, महोदया, अब तक जो हमने कर्ज दिए हैं वह रिकार्ड पर हैं। हमने ऋण देने का काम किया है और उससे भी ज्यादा इस साल से हमने प्रारंभ किया है कि ...श भर में एपेक्स हो या श्रमिक सहकारी समिति हो, अभी थोड़े दिन पहले देश भर की 24 सहकारी समितियों को चुनकर हमने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन करके उनको पुरुस्कार देने का काम किया। तो राष्ट्रीय स्तर पर एपेक्स से लेकर ऊपर तक विभिन्न क्षेत्रों में जो सहकारी समितियां काम करती है, सफलता प्राप्त करती हैं जिनका काम अच्छा है, उनको हमने

50 हजार रुपए अपनी ओर से पुरुस्कार देने का काम किया है जिससे कि इस आंदोलन में इसका काम करने वाले लोग आगे आकर बढ़ें।

माननीय सदस्यों ने कई बातें उठायी हैं। तो सरकार की तरफ से एक टास्क फोर्स बना है। मेरी अध्यक्षता में कई राज्यों के उसमें कोआपरेटिव मिनिस्टर्स हैं। 20 तारीख को कोआपरेअिव मिनिस्टर्स के अलग-अलग ग्रुप बने थे। उनकी बैठक मैंने बुलायी है। उनमें उनकी राय आएंगी। 24 या 25 तारीख को माननीय कृषि मंत्री जी ने देश के सभी कृषि मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया है। इसलिए इस सरकार के द्वारा सहकारिता आंदोलन को हम ले जाना चाहते हैं कि सहकारिता आंदोलन गांवों तक जाए, गांवों के कमजोर वर्ग, निम्न वर्ग हैं, किसान हैं, सीमांत और लघु किसान हैं या जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, वे सहकारी समितियों के मारफत अनेक क्षेत्रों में रोजगार, व्यापार के काम को अपने हाथ में लें, जो किसानों के बेटे हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, कोई रोजगार उनके पास नहीं हैं, वे भी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन, निबंधन कराएं। सहूलियत के साथ निबंधन करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे और उसकी मारफत शिक्षित बेरोजगार आएं, काम करें। अगर कोआपरेटिव के मारफत कोई एग्री क्लिनिक खोलना चाहता है, एग्री बिजिनेस करना चाहता है, हम उनके लिए भी ये सारे द्वार खोल रहे हैं अर्थात सहकारी आंदोलन की तरफ से नये समाज की रचना के लिए, गांवों के उत्थान के लिए, किसानों के स्वाभिमान के लिए यह सरकार कृत संकल्प है। इसलिए यह विधेयक लाया गया है। अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो आगे भी सहकारी आंदोलन आगे बढ़ेगा। माननीय सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उनको समाहित करेंगे। यह कोई अंतिम बिल नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो फिर इससे भी व्यापक बिल ले आ करके समाज के उत्थान में हम सहयोगी बनेंगे।

यथारूप इस विधेयक को पास किया जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is :

"That the Bill further to amend the National Co-operative Development Corporation Act, 1962, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the clause-by-clause consideration of the Bill. We take up clause 2. There is one amendment, by the Minister.

खण्ड-2 वृहत् नाम का संशोधन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, मैं प्रस्तुत करता हूं कि -

(3) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 9 और 10 **के स्थान पर** "और सहकारी सिद्धांतों और उससे संबंधित मामलों के आधार पर कुछ अन्य जिंसों" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक सामानों, पशुधन, कुछ अन्य जिंसों और सहकारी सिद्धांतों पर आधारित सेवाओं और

उनसे संबंधित या उनके आनुषांगिक मामलों के लिए" शब्दों को **प्रतिस्थापित** किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up clause 3. There are five amendments, by the Minister.

खण्ड-3 धारा 2 का संशोधन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, मैं प्रस्तुत करता हूं कि -

a. पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 2 से 6 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,

अर्थात्

"(iv) वनोद्योग की उपज;

1. कुक्कुट पालन की पैदावार;
2. मत्स्य पालन की पैदावार;
3. "अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों की पैदावार चाहे वे कृषि के साथ संयुक्त रूप से किए जाते हैं अथवा नहीं;"

(5) पृष्ठ 2 पर पंक्ति 12 **के स्थान पर** -

"या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और और रजिस्ट्रीकृत दि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड या दि इंडियन कंपनी ऐक्ट, 1913 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

b. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 24 में "सहकारी भूमि विकास बैंक" या उसका चाहे जो नाम हो, **प्रतिस्थापित** किया जाए।

c. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 34 से 37 तक **के स्थान पर** -

"(घ घ) राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमोंका अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी "राष्ट्रीयकृत बैंक अभिप्रेत है; **प्रतिस्थापित** किया जाए।

(8) पृष्ठ 3 पर पंक्ति 7 **के स्थान पर**, "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

The questions were put and the motions were adopted.
Clause 3, as amended, was added to the Bill.
Clauses 4 to 7 were added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up clause 1. There is one amendment, by the Minister.

खण्ड- I, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, मैं प्रस्तुत करता हूं कि -

(2) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में, "1995" अंक **के स्थान पर** "2002" अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Enacting Formula. There is one amendment, No.1, by Shri Hukumdeo Narayan Yadav.

ENACTING FORMULA

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, मैं प्रस्तुत करता हूं :

4. कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में, "छियालीसवें वर्ष" **के स्थान पर** "तिरेपनवां वर्ष" **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि संशोधित रूप में, इस विधेयक को पास किया जाए ।

The question was put and the motion was adopted

THE DEPUTY CHAIRMAN: Today, we have passed three Bills. Now, I have got the fourth Bill, the Coast Guard (Amendment) Bill, 2001. There are only two speakers. I think, we will pass it quickly. ...(*Interruptions*)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): No, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is the meaning of "no"? Mr. Bagrodia, what do you mean by saying 'no' to the Chair? May I know this thing from you? If my eyes are bad, you can come over here and see for yourself the names of the speakers. ...*(Interruptions)*... The Bill is, the Coast Guard (Amendment) Bill, 2001. I am talking about the names. I have got only two names. Mr. Santosh Bagrodia, are you saying 'no' to the names of the speakers or 'no' to the Bill?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, we are talking about the Bill.

आपने कोस्ट गॉर्ड कहा तब हम खड़े हो गए । ...**(व्यवधान)**... आपने कोस्ट गॉर्ड कहा, हम समझते हैं कि कोस्ट गॉर्ड मायने क्या होता है । ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : मैं तो नाम की बात कर रही हूं । ... **(व्यवधान)** ...

श्री संतोष बागड़ोदिया : हम समझते हैं कि कोस्ट गॉर्ड का मतलब क्या होता है ।

... **(व्यवधान)** ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You do not want the coast to be guarded. Do you want this Bill to be passed or not?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, we want the coast to be guarded. ...*(Interruptions)*... But, we want a different person to guard our coast. We do not want them to be guarded under him. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't think the Minister is going to guard the coast. ...*(Interruptions)*...

श्री संतोष बागड़ोदिया : सब इनके नाम में होता है । डिफेंस मिनिस्ट्री में इतना घपला हुआ है, उसके बाद आप ... **(व्यवधान)** ...जो अपने घर को गॉर्ड नहीं कर सकता, वह हिन्दुस्तान के कोस्ट को कैसे गॉर्ड करेगा ? ... **(व्यवधान)** ...

श्री एस0एस0 अहलुवालिया (झारखंड): महोदया, यह क्या कह रहे हैं, इनको खुद भी नहीं मालूम । Madam, we cannot pass the Bill like this. ...*(Interruptions)*...

उपसभापति : एक मिनट बैठिए । ... **(व्यवधान)** ...बैठिए, आप बैठ जाइये । सवाल यहां व्यक्ति का नहीं है । सवाल यहां यह है कि आप अपने कोस्ट को गॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, यह जवाब दे दीजिए।...**(व्यवधान)** ...

श्री लालू प्रसाद (बिहार): महोदया, बिल तो इंट्रोड्यूस होना चाहिए । ... **(व्यवधान)** ... आगे क्या आ रहा है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वह बात तो आनी चाहिए ।

उपसभापति : अभी तो आई नहीं है । ... **(व्यवधान)** ...

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Madam, let him introduce the Bill.

श्री लालू प्रसाद : आप मूव कराइये, सरकार में कौन लोग मूव कर रहे हैं। ... **(व्यवधान)** ...

उपसभापति : देखिए, मैंने यह कहा कोस्ट गॉर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर डिसकशन, लेकिन नो की आवाज़ यहां से आई, तो नो किस चीज़ की आप कह रहे हो ? यदि नो नामों के ऊपर कह रहे हो, तो यहां आ कर देख लो कि यहां दो ही नाम हैं । I was talking about the two names that I have, because, one hon. Member from the AIADMK, Shri N. Jothi, came to me and informed me that he will speak on the Coast Guard (Amendment) Bill, 2001 today. Then, from the DMK, Shri S. Viduthalai Virumbi, wanted to speak on this Bill. These are the two names which I am having. I do not have any other name. ...*(Interruptions)*... The Bill was introduced long back. It has come for consideration now. Now let me, at least, go ahead. Without properly listening to me, you started saying "no". I think, now, there is a habit of saying "no", because you have been saying "yes" all the time. Now, let me go ahead. Shri George Fernandes to move the motion for consideration of the Coast Guard (Amendment) Bill, 2001. ...*(Interruptions)*...

श्री लालू प्रसाद : महोदया, ये तहलका डॉट कॉम में दागी हैं । ...**(व्यवधान)**... महोदया, ये तहलका डॉट कॉम में देश और दुनिया भर में ...**(व्यवधान)**... His appointment is illegal. He has resigned, and an enquiry is going on. ...*(Interruptions)*...